**विशेष सचिव–सह–निदेशक, खान एवं भूतत्व की अध्यक्षता में दिनांक 15.01.2018 को <u>पत्थर बंदोबस्तधारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही:–</u>**

<u>उपस्थिति–संलग्न</u>

दिनांक 15.01.2018 को पत्थर बंदोबस्तधारियों के साथ आहूत बैठक में उपस्थित बंदोबस्तधारियों के साथ निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :–

1. **<u>ई–चालान</u>** – इस संबंध में बैठक के दौरान चर्चा करते हुए सभी बंदोबस्तधारियों को सूचित किया गया कि पत्थर खनन पट्टों से उत्खनित पत्थर का परिवहन ई–चालान के माध्यम से ही किया जायेगा। बिना ई–चालान के खनिज परिवहन की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं होगी।
2. **<u>GPS/E-Lock</u>** – इस संबंध में सभी बंदोबस्तधारियों को निदेश दिया गया कि वे उन्हीं वाहनों पर पत्थर खनिज की लदाई/विक्रय करेंगे जिनमें GPS/E-Lock लगा हो। बिना GPS/E-Lock लगे वाहनों पर यदि खनिजों को बेचा या लादा जाता है तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी बंदोबस्तधारी की होगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
3. **<u>BSMC को देय कमीशन</u>**– सभी बंदोबस्तधारियों द्वारा इस बात पर सर्वसम्मति से सहमति दी गई कि वे विभाग द्वारा निगम को निर्धारित कमीशन अर्थात विक्रय मूल्य का 5%, कमीशन बिहार राज्य खनन निगम (BSMC) को देंगे। इस संबंध में बंदोबस्तधारियों को निदेश दिया गया कि निगम को प्राप्त कमीशन उनके द्वारा दायर मासिक रिटर्न में अंकित खनिज प्रेषण की मात्रा के अनुरूप होना चाहिए।
4. बैठक में निदेशक, खान एवं भूतत्व के द्वारा सभी बंदोबस्तधारियों को निदेश दिया गया कि सभी बंदोबस्तधारी 31.01.2018 को देय किश्त का भुगतान ससमय कर दे।
5. बैठक के दौरान यह चर्चा की गई की अधिकांशतः पत्थर बंदोबस्तधारियों द्वारा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में कठोर निदेश दिया गया कि किसी परिस्थिति में पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन बर्दास्त नहीं किया जायेगा एवं बंदोबस्तधारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सभी बंदोबस्तधारियों को निदेश दिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति का Compliance Report प्रत्येक छः माह पर SEIAA को समर्पित किया जाना है। अतः सभी बंदोबस्तधारी इसकी एक प्रति एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा संबंधित बंदोबस्तधारी के विरूद्ध पट्टा रद्द करने हेतु संबंधित समाहर्त्ता को पत्र लिखा जायेगा।।
6. बैठक के दौरान यह निदेश दिया गया कि बंदोबस्तधारी किसी भी परिस्थिति में Boulder/Finished Product का भण्डारण पट्टा क्षेत्र से बाहर नहीं करेंगे एवं क्रशर की स्थापना भी पट्टा क्षेत्र के बाहर नहीं करेंगे। साथ ही सभी बंदोबस्तधारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त के अनुसार पट्टा क्षेत्र के 33% क्षेत्र में वृक्ष लगाना सुनिश्चित करेंगे।
7. बैठक के दौरान यह निदेश दिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति में अंकित Production Capping सीमा को किसी भी परिस्थिति में exceed नहीं करेंगे।

अंत में सभी बंदोबस्तधारियों को सभी प्रावधानित नियमों का पालन करने के निदेश के साथ धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

ह0/–
(असंगबा चुबा आओ)
विशेष सचिव–सह–निदेशक

P.T.O.

ज्ञापांक–................................/एम0, पटना, दिनांक–....................................

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–................................/एम0, पटना, दिनांक–....................................

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, बिहार राज्य खनिज निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–.....344................/एम0, पटना, दिनांक–...17.1.18............

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, गया/नवादा/शेखपुरा/औरंगाबाद/बाँका को सूचनार्थ एवं निदेशक दिया जाता है कि सभी बंदोबस्तधारी को कार्यवाही से अवगत करावें।

17/1/18

सरकार के अवर सचिव